



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:

www.dfccil.gov.in

No.2017/HQ/Admin/RTI-**229**

New Delhi: 22.11.2017

Shri Hakim Singh
S/o Shri Hiralal Yadav
Village-Nagla Vidhi Post
Somho Tehsil Bharthna
Distt.-Etawah

Sub: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना सुलभ कराना।

Providing information under the RTI Act 2005


Ref: Original application dt. 25.10.2017 received on 31.10.2017 from Shri Hakim Singh R/o UP.

The Information sought for is as under:

S.No	Information sought for on;	Information
1	Item (i)	<p>उपरोक्त सन्दर्भित पत्र सं. I में श्री हाकिम सिंह पुत्र स्व: श्री हीरा लाल निवासी – नगला विधि पोस्ट – साम्हों तहसील – भरथना जनपद इटावा, की जानकारी के लिए RTI प्राप्त हुई इसकी जानकारी हेतु उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक कानपुर को निर्देशित किया गया। सन्दर्भित पत्र सं. III के तहत उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक, कानपुर से जो जानकारी प्राप्त हुई वह निम्नलिखित है:-</p> <p>“ग्राम-साम्हों, तह0-भरथना, जिला-इटावा की भूमि गाटा सं0-1535मि0, रकबा 0.0469हे0 का अर्जन करते हुए अभिनिर्णय वाद सं0 01/2008-09 दिनांक 08.02.2010 सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया गया था। जिसमें स्व0 श्रीमती ज्ञानश्री पत्नी हाकिम सिंह, का 84.00 वर्ग मी0 का एक प्लॉट है, जिस दर बना मकान आंशिक रूप से अर्थात् 52.86 वर्गमी0 प्रभावित हैं। चूंकि कुल मकान का अधिकांश हिस्सा प्रभावित हैं। अतः नियमानुसार निर्मित सम्पूर्ण भवन का मूल्य मान्यता प्राप्त मूल्यांकनकर्ता से पी0डब्ल्यू0डी0 की दरों के अनुसार निर्धारित कराकर कुल रू0 7,45,607.00 का श्रीमती ज्ञानश्री पत्नी श्री हाकिम सिंह यादव को चेक सं0 14896 व 940975 में ही किया जा चुका है। क्षतिग्रस्त भवन से विस्थापित होने के फलस्वरूप मौलिक पात्रता के आधार पर पारगमन भत्ता रू0-4000/- तथा विस्थापित होने के फलस्वरूप रू0-10,000/- की सहायता राशि भी देय है।”</p> <p>“श्रीमती ज्ञानश्री पत्नी श्री हाकिम सिंह यादव ने मा0 आर्बीट्रेटर/आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर, के समक्ष अभिनिर्णय वाद सं0 01/2008-09 दिनांक 08.02.2010 के विरुद्ध वाद सं. 02/2010-11,109/2013-14 दायर किया था। जिसमें मा0 आर्बीटर महोदय ने दिनांक 20.01.2014 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था। पारित किया गया:-</p> <p>मुख्य परियोजना प्रबंधक, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 कानपुर को निर्देशित किया जाता है कि अर्जित भूमि में निर्मित तीन दुकानों की भूमि व निर्माण का मूल्यांकन व्यावसायिक दर से तथा अन्य आवासीय निर्माण व भूमि का मूल्यांकन आवासीय दर से करके प्रतिकर की धनराशि निर्धारित करना सुनिश्चित करें।”</p> <p>“उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, स्व: श्रीमती ज्ञानश्री पत्नी हाकिम सिंह यादव, को अन्तर देय धनराशि की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त हो गई हैं। मा0 आर्बीट्रेटर/आयुक्त के आदेशानुसार मकान के प्रभावित 43.09 वर्ग मी0 का आवासीय दर से तथा 09.78 वर्ग मी0 का व्यावसायिक दर से भुगतान किया जाना है। दरों का निर्धारण अधिसूचना के समय प्रभावी जिला मूल्यांकन सूची से किया गया है। जिसके भुगतान की कार्यवाही करते हुए आवश्यक वाउचर (फार्म-सी0सी0) पुष्टि हेतु मकान स्वामिनी को प्रेषित किये गये थे, किन्तु प्रार्थिनी द्वारा अस्वीकार कर दिए गये थे।</p>

	<p>शिकायतकर्ता द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से यह सूचना दी गई है कि श्रीमती ज्ञानश्री की मृत्यु दिनांक 02.07.2016 को हो चुकी हैं। उत्तराधिकारी की सत्यापित प्रति डी0एफ0सी0सी0 117/एच-2/180 पाण्डु नगर कानपुर कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई हैं।”</p> <p>“सूचना अधिकार अधिनियम -2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना दिनांक 25.10.2017 के सम्बन्ध में बिना स्थलीय जॉच आख्या के प्रस्तरवार संभव नहीं हो पा रहा है। सम्बन्धित जिले के प्रभारी उप परियोजना प्रबन्धक एवं राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की संयुक्त जॉच आख्या आने के उपरान्त अंतिम उत्तर भेजा जायेगा। आख्या प्राप्त होते ही आपको पूर्ण स्थिति से अवगत कराया जायेगा।”</p>
--	---

अपीली अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पता है: श्री सतीश कोठारी, ग्रुप महाप्रबंधक/प्रशासन, डी एफ सी सी आई एल, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग, पांचवी मंज़िल, नई दिल्ली-110001 जिन्हें इस उत्तर के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इस सूचना आवेदन के संबंध में निःशुल्क अपील की जा सकती है।



(S. K. Panda)

उप महाप्रबंधक/प्रशासन/पी आई ओ
DGM/Admin/PIO

Copy to

CPM/Agra- for record